छत्तीसगढ़ शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग









वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

2016-17





भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एवं राष्ट्रीय दूर संवेदी केन्द्र के सहयोग से विभाग के पास उपलब्ध आंकड़े एवं अंतरिक्ष तकनीकी के उपयोग से नये भूजल स्रोतों के चिन्हांकन पर राज्य स्तरीय कार्यशाला

छत्तीसगढ़ शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

2016-17

मंत्री	–	माननीय श्री रामसेवक पैकरा
संसदीय सचिव	–	माननीय श्री लाभचंद बाफना

मंत्रालय

सचिव	–	श्रीमती शहला निगार भा.प्र.से.
उप सचिव (तकनीकी)	–	डॉ. एम.एल. अग्रवाल
अवर सचिव	–	श्री पी.डी. पुरबिया

विभागाध्यक्ष

प्रमुख अभियंता	–	श्री टी. जी. कोसरिया

साजा समूह जलप्रदाय योजना



इंटेक वेल



कैसकेट एलीयेटर



5 एम.एल.डी. जलशोधन संयंत्र, ग्राम सिंघौरी



क्लेरीफ्लॉक्यूलेटर



फिल्टर

अनुक्रमणिका

कमांक	विवरण	पृष्ठ कमांक
1.	भाग–1 विभागीय संरचना	1–8
2.	भाग–2 बजट विहंगालोकन (एक दृष्टि में)	9
3.	भाग–3 राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	10–27
4.	भाग–4 सामान्य प्रशासनिक विषय	28–30
5.	भाग–5 विभागीय प्रकाशन	31
6.	भाग–6 सारांश	32–35



समूह जलप्रदाय योजना चौकी के अंतर्गत निर्माणधीन इंटेकवेल का कार्य

भाग - एक

विभागीय संरचना

1.1 सामान्य

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजनाओं को तैयार कर क्रियान्वयन तथा नगरीय क्षेत्र में नगरीय निकायों की आवश्यकता के अनुरूप जलप्रदाय योजना तैयार कर क्रियान्वयन करने का उत्तरदायित्व लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का है।

1.2 विभागीय संरचना

विभागीय मंत्रालय के अधीनस्थ विभागीय संरचना में प्रमुख अभियंता विभागाध्यक्ष है। कार्यालय प्रमुख अभियंता इन्द्रावती भवन, नया रायपुर में स्थित है। विभागाध्यक्ष कार्यालय का कार्यक्षेत्र संपूर्ण प्रदेश है। प्रदेश में परिक्षेत्रवार तीन मुख्य अभियंता कार्यालय निम्नानुसार कार्यरत हैं:–

(अ) मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर परिक्षेत्र – मुख्यालय रायपुर

कार्यक्षेत्र – रायपुर एवं दुर्ग राजस्व संभाग अंतर्गत 10 जिले क्रमशः रायपुर, महासमुन्द, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव एवं कबीरधाम।

(ब) मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, बिलासपुर परिक्षेत्र – मुख्यालय बिलासपुर

कार्यक्षेत्र – बिलासपुर एवं सरगुजा राजस्व संभाग के अंतर्गत 10 जिले क्रमशः बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर–चांपा, रायगढ़, अंबिकापुर, सुरजपुर, बलरामपुर, जशपुर एवं कोरिया।

(स) मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जगदलपुर परिक्षेत्र – मुख्यालय जगदलपुर

कार्यक्षेत्र – बस्तर राजस्व संभाग के अंतर्गत 7 जिले क्रमशः बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, कोण्डागांव, कांकेर एवं नारायणपुर।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रमुख अभियंता कार्यालय में मुख्य अभियंता (सिविल) का एक पद तथा मुख्य अभियंता (वि0/यां0) का एक पद सृजित है। प्रमुख अभियंता कार्यालय में पदस्थ मुख्य अभियंता (सिविल), राज्य स्तरीय पर्यवेक्षण एवं क्रियान्वयन प्रकोष्ठ का प्रभारी हैं, जिनके द्वारा प्रमुख अभियंता कार्यालय में विभागीय कार्यक्रमों के अनुश्रवण का कार्य किया जाता है। मुख्य अभियंता (वि0/यां0) का उत्तरदायित्व प्रमुख अभियंता कार्यालय में प्रदेश के विद्युत एवं यांत्रिकी संकाय के कार्यों का अनुश्रवण एवं समन्वय करने का है।

1.3 मैदानी स्तर पर विभागीय संरचना:

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में सिविल संकाय के राजस्व संभाग स्तर पर रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं सरगुजा में एक–एक मण्डल कार्यालय है, बस्तर संभाग में विभाग के दो मण्डल कार्यालय क्रमशः जगदलपुर एवं कोण्डागांव में हैं। इस प्रकार राज्य में कुल छः मंडल कार्यालय कार्यरत हैं। जिनके कार्यालय प्रमुख, अधीक्षण अभियंता है।

प्रदेश के प्रत्येक जिला स्तर पर एक सिविल खण्ड कार्यालय कार्यरत हैं इसके अतिरिक्त रायपुर, बेमेतरा, जगदलपुर और बिलासपुर में एक–एक परियोजना खण्ड कार्यालय कार्यरत है। इस प्रकार (सिविल) के कुल 31 खंड कार्यालय कार्यरत हैं।

वर्ष 2016–17 में भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत, ग्रामीणजनों की आवश्यकता एवं सुलभ पहुंच के लिए विकेन्द्रीकरण करते हुए 03 नये उपखण्ड क्रमशः नगरी (कार्यक्षेत्र विकासखण्ड नगरी), देवभोग (कार्यक्षेत्र विकासखण्ड देवभोग एवं मैनपुर) तथा मोहला (कार्यक्षेत्र मोहला एवं मानपुर) सृजित किये गये हैं। सिविल संकाय में इस प्रकार कुल 89 उपखण्ड कार्यालय कार्यरत हैं। उपखण्ड कार्यालय में सहायक अभियंता सिविल, पदस्थ होते है।

विभाग के विद्युत/यांत्रिकी संकाय हेतु राज्य में एक मण्डल कार्यालय रायपुर स्थापित है। जिसके कार्यालय प्रमुख अधीक्षण अभियंता (वि/यां) है। जिसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण प्रदेश है। रायपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, बिलासपुर एवं अंबिकापुर में विद्युत/यांत्रिकी संकाय के खण्ड कार्यालय कार्यरत है। जिसके कार्यालय प्रमुख कार्यपालन अभियंता (वि/यां) है। खण्ड कार्यालयों के अधीन जिला मुख्यालयों पर 27 विद्युत/यांत्रिकी उपखण्ड कार्यालय कार्यरत है। विभागीय संरचना निम्नानुसार हैः–

विभागीय संरचना

विभागीय मंत्री
विभागीय संसदीय सचिव

प्रमुख अभियंता

मुख्य अभियंता परिक्षेत्र रायपुर

अधीक्षण अभियंता मंडल रायपुर

(1) खण्ड रायपुर
उपखंड रायपुर
भूजल संवर्धन
उपखंड रायपुर
(2) खण्ड धमतरी
उपखंड धमतरी
उपखंड कुरूद
उपखंड नगरी
(3) खण्ड महासमुंद
उपखंड महासमुंद
उपखंड सरायपाली
(4) खण्ड बलौदाबाजार
उपखंड भाटापारा
उपखंड बलौदाबाजार
उपखंड कसडोल
(5) खण्ड गरियाबंद
उपखंड गरियाबंद
उपखंड राजिम
उपखंड देवभोग
(6) परि.खण्ड रायपुर
परि. उपखंड क. 1
रायपुर.
परि. उपखंड क. 2
रायपुर

अधीक्षण अभियंता मंडल दुर्ग

(1) खण्ड दुर्ग
उपखंड दुर्ग
वि. संधा.
उपखण्ड, दुर्ग
उपखंड पाटन
(2) खण्ड बालोद
उपखंड बालोद
उपखंड गुंडरदेही
उपखंड डौंडी
(3) खण्ड बेमेतरा
उपखंड बेमेतरा
उपखंड साजा
(4) खण्ड राजनांदगांव
उपखंड राजनांदगांव
उपखंड चौकी
उपखंड डोंगरगढ़
उपखंड खैरागढ़
उपखंड छुईखदान
उपखंड मोहला
(5) खण्ड कबीरधाम
उपखंड कवर्धा
उपखंड पंडरिया
उपखंड बोडला
(6) परि.खण्ड बेमेतरा
परि. उपखंड क.1
बेमेतरा
परि. उपखंड क.2
बेमेतरा
परि. उपखंड क.3
बेमेतरा

मुख्य अभियंता परिक्षेत्र बिलासपुर

अधीक्षण अभियंता मंडल बिलासपुर

(1) खण्ड बिलासपुर
उपखंड बिलासपुर
उपखंड गौरेला
उपखंड तखतपुर
(2) खण्ड मुंगेली
उपखंड मुंगेली
उपखंड पथरिया
(3) खण्ड कोरबा
उपखंड कोरबा
उपखंड कटघोरा
(4) खण्ड जांजगीर–चांपा
उपखंड चांपा
उपखंड सक्ती
उपखंड डभरा
उपखंड अकलतरा
(5) खण्ड रायगढ़
उपखंड रायगढ़
उपखंड खरसिया
उपखंड सारंगढ़
उपखंड घरघोड़ा
उपखंड धरमजयगढ़
(6) परि.खण्ड बिलासपुर
उपखंड क. 1
बिलासपुर
उपखंड क. 2
बिलासपुर

अधीक्षण अभियंता मंडल अंबिकापुर

(1) खण्ड अंबिकापुर
उपखंड अम्बिकापुर
उपखंड सीतापुर
(2) खण्ड बलरामपुर
उपखंड बलरामपुर
उपखंड कुसमी
उपखंड रामानुजगंज
उपखंड वाड्रफनगर
(3) खण्ड सूरजपुर
उपखंड सूरजपुर
उपखंड प्रतापपुर
उपखंड ओड़गी
(4) खण्ड जशपुर
उपखंड जशपुर
उपखंड कुनकुरी
उपखंड पत्थलगांव
उपखंड कांसाबेल
(5) खण्ड कोरिया
उपखंड बैकुंठपुर
उपखंड मनेन्द्रगढ़
उपखंड चिरमिरी
उपखंड जनकपुर

मुख्य अभियंता परिक्षेत्र जगदलपुर

अधीक्षण अभियंता मंडल जगदलपुर

(1) खण्ड जगदलपुर
उपखंड क.1 जगदलपुर
(मुख्यालय बस्तर)
उपखंड क.2 जगदलपुर
उपखंड तोकापाल
भू.सं.उपखंड जगदलपुर
संधा.उपखंड जगदलपुर
(2) खण्ड दंतेवाडा
उपखंड दंतेवाड़ा
उपखंड क.2 दंतेवाड़ा
(3) खण्ड सुकमा
उपखंड सुकमा
उपखंड कोंटा
(4) खण्ड बीजापुर
उपखंड बीजापुर
उपखंड भोपालपटनम
(5) परि.खण्ड जगदलपुर
परि.उपखण्ड क 3
जगदलपुर
परि.उपखण्ड क 4
जगदलपुर

अधीक्षण अभियंता मंडल कोण्डागांव

(1) खण्ड कोण्डागांव
उपखंड कोंडागांव
उपखंड केशकाल
(2) खण्ड कांकेर
उपखंड कांकेर
उपखंड
भानुप्रतापपुर
उपखंड अंतागढ़
(3) खण्ड नारायणपुर
उपखण्ड
नारायणपुर

अधीक्षण अभियंता विद्युत/यांत्रिकी मंडल रायपुर

(1) वि/यां खण्ड रायपुर
वि/यां उपखंड रायपुर
वि/यां उपखंड गरियाबंद
वि/यां उपखंड बलौदाबाजार
वि/यां उपखंड धमतरी
वि/यां उपखंड महासमुंद
(2) वि/यां खण्ड राजनांदगांव
वि/यां उपखंड दुर्ग
वि/यां उपखंड बालोद
वि/यां उपखंड बेमेतरा
वि/यां उपखंड राजनांदगांव
वि/यां उपखंड कवर्धा
(3) वि/यां खण्ड बिलासपुर
वि/यां उपखण्ड बिलासपुर
वि/यां उपखण्ड मुंगेली
वि/यां उपखंड चांपा
वि/यां उपखंड कोरबा
वि/यां उपखंड रायगढ़
(4) वि/यां खण्ड अम्बिकापुर
वि/यां उपखंड अम्बिकापुर
वि/यां उपखंड सूरजपुर
वि/यां उपखंड बलरामपुर
वि/यां उपखंड कोरिया
वि/यां उपखंड जशपुर
(5) वि/यां खण्ड जगदलपुर
वि/यां उपखण्ड जगदलपुर
वि/यां उपखण्ड कोण्डागांव
वि/यां उपखंड दंतेवाडा
वि/यां उपखंड सुकमा
वि/यां उपखंड कांकेर
वि/यां उपखंड बीजापुर
वि/यां उपखंड नारायणपुर

विभागीय संरचना में स्वीकृत पदों का विवरण

राजपत्रित प्रथम श्रेणी संवर्ग:

स.क्र.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
1.	प्रमुख अभियंता	01
2.	मुख्य अभियंता (वि/यां)	01
3.	मुख्य अभियंता (सिविल)	04
4.	अधीक्षण अभियंता (सिविल)	12
5.	अधीक्षण अभियंता (वि/यां)	01
6.	कार्यपालन अभियंता (सिविल)	36
7.	कार्यपालन अभियंता (वि/यां)	06
8.	कार्यपालन अभियंता (एम.आई.एस.)	01
9.	संयुक्त संचालक (वित्त) प्रतिनियुक्ति से	01

राजपत्रित द्वितीय श्रेणी संवर्ग:

स.क्र.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
1.	जल वैज्ञानिक (हाइड्रोजियोलॉजिस्ट) (प्रतिनियुक्ति)	03
2.	हाइड्रोजियोलाजिस्ट	01
3.	सहायक भू–जलविद्	01
4.	सहायक अभियंता (सिविल)	130
5.	सहायक अभियंता (वि/यां)	33
6.	सहायक अभियंता (एम.आई.एस.)	01
7.	लेखाधिकारी (वित्त) प्रतिनियुक्ति से	04
8.	मुख्य रसायनज्ञ	01
9.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	01

अराजपत्रित राज्य स्तरीय तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक संवर्ग):

स.क्र.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
1	उप–अभियंता (सिविल)	406
2	उप–अभियंता (वि./यां.)	130
3	वरिष्ठ तकनीकी सहायक (जियोलॉजिस्ट)	02
4	फोरमेन	01
5	रिग ऑपरेटर	05
6	सहायक रिग ऑपरेटर	05
7	ड्रिलर	10
8	मुख्य मानचित्रकार	01
9	मानचित्रकार	48
10	सहायक मानचित्रकार	47
11	अनुरेखक	102

अराजपत्रित राज्य स्तरीय तृतीय श्रेणी (लिपिक संवर्ग):

स.क्र.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
12	मुख्यालय अधीक्षक	01
13	अधीक्षक (मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता कार्यालय)	10
14	कनिष्ठ लेखाधिकारी (प्रतिनियुक्ति पर)	01
15	सहायक ग्रेड–1 (प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता कार्यालय)	10
16	सहायक ग्रेड–एक (अधीक्षण अभियंता कार्यालय)	07
17	वरिष्ठ निज सहायक	01
18	निज सहायक	04
19	शीघ्रलेखक	13
20	लेखापाल	04
21	सहायक ग्रेड–2	15
22	सहायक ग्रेड–3	30
23	स्टेनोटायपिस्ट	42

अराजपत्रित राज्य स्तरीय तृतीय श्रेणी (अन्य संवर्ग):

स.क्र.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
24	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	03
25	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	47
26	केमिस्ट	28
27	सहायक केमिस्ट	01
28	वाहन चालक	13

अराजपत्रित राज्य स्तरीय चतुर्थ श्रेणी (अन्य संवर्ग):

स.क्र.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
29	सुपरवाईजर	01
30	दफ्तरी	04
31	भृत्य	28
32	चौकीदार	01

अराजपत्रित अराज्य स्तरीय तृतीय श्रेणी (लिपिक संवर्ग):

स.क्र.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
1	सहायक ग्रेड–2	201
2	सहायक ग्रेड–3	274
3	संभागीय लेखापाल (प्रतिनियुक्ति से)	36

अराजपत्रित अराज्य स्तरीय तृतीय श्रेणी (अन्य संवर्ग):

स.क्र.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
4	प्रयोगशाला सहायक	29
5	हैण्डपंप तकनीशियन	876
6	इलेक्ट्रिशियन	01

स.क्र.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
7	फिटर	02
8	शिफ्ट ड्राईवर	01
9	टर्नर	02
10	वेल्डर	01
11	ट्रक चालक	28
12	वाहन चालक	94
13	चालक सह सहायक	18
14	एयर कम्प्रेशर चालक	03
15	मैकेनिक (वि./यां.)	13

अराजपत्रित अराज्य स्तरीय चतुर्थ (अन्य संवर्ग):

स.क्र.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
16	दफ्तरी	29
17	भृत्य	263
18	हेल्पर	16
19	लाईनमेन	02
20	क्लीनर	13
21	चौकीदार (नियमित)	102

1.4 विभाग का दायित्व:

प्रदेश के ग्रामीण जनसंख्या को समुचित शुद्ध पेयजल निरंतर उपलब्ध कराना विभाग का मुख्य दायित्व है। विभाग के मुख्य कार्य निम्नानुसार है :–

- ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पेयजल योजनाओं के लिए सर्वेक्षण, रूपांकन एवं क्रियान्वयन।
- ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपंप योजनाओं का क्रियान्वयन।
- ग्रामीण क्षेत्रों में उच्चस्तरीय टंकी आधारित नल जल योजनाओं का रूपांकन एवं क्रियान्वयन।
- ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे ग्रामों/बसाहटों जहां पर्याप्त मात्रा में भू–गर्भीय जल श्रोत उपलब्ध नहीं है अथवा भू–जल की गुणवत्ता प्रभावित है, वहां सतही श्रोत पर आधारित समूह नलजल प्रदाय योजनाओं का रूपांकन एवं क्रियान्वयन।
- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल प्रदाय हेतु स्थापित विभागीय हैण्डपम्पों का संचालन एवं संधारण ।
- ग्रामीण क्षेत्रों के पेयजल श्रोतों की जल गुणवत्ता की जाँच एवं उसकी सतत् निगरानी तथा ग्राम पंचायतों के साथ–साथ स्थानीय लोगों को इस संबंध में प्रशिक्षित करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध जल श्रोतों एवं संचालित योजनाओं की निरंतरता हेतु जल संरक्षण, भूजल संवर्धन आदि कार्यों का रूपांकन एवं क्रियान्वयन।
- ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय शालाओं एवं शासकीय भवनों में संचालित आँगनबाड़ी केन्द्रों में शुद्ध पेयजल प्रदाय की व्यवस्था।
- नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकायों की मांग अनुसार पेयजल एवं जलमल निकास योजनाओं के लिए सर्वेक्षण, रूपांकन एवं क्रियान्वयन का कार्य।

1.5 सामान्य जानकारी

प्रदेश में जनगणना 2011 के अनुसार कुल आबाद ग्राम 19716 हैं, इनमें कुल 74647 बसाहटें चिन्हित की गई हैं। इन सभी बसाहटों में कम से कम एक पेयजल स्रोत निर्मित किया जा चुका है। पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ–साथ विभाग द्वारा पेयजल की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

प्रदेश के कुल 168 नगरीय निकायों में से 102 नगरीय निकायों में जलप्रदाय योजनाओं का कियान्वयन कर शुद्ध पेयजल प्रदाय किया जा रहा है। वर्तमान में 66 नगरीय निकायों में जलप्रदाय योजनाओं के कार्य प्रगति पर है।

1.6 प्रमुख विशेषताएं

पेयजल कार्यक्रम :-

राज्य में जलप्रदाय स्रोतों के विकास की प्रमुख जिम्मेदारी भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची अनुसार राज्य सरकारों की है। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था हेतु समय–समय पर नीति निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य की पेयजल योजनाओं के लिए वित्तीय व्यवस्था राज्य शासन एवं भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के लिए पेयजल व्यवस्था राज्य शासन अपने संसाधनों से भी उपलब्ध कराती है। नगरीय क्षेत्रों के पेयजल योजनाओं के कियान्वयन के लिए योजना की लागत का राज्य शासन द्वारा 70 प्रतिशत अनुदान एवं 30 प्रतिशत शासकीय ऋण नगरीय निकायों के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया जाता है।

भारत सरकार, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा ग्रामीण पेयजल नीति में परिवर्तन करते हुये अप्रैल, 2009 से "राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम" लागू किया गया है, जिसे वर्ष 2013 में पुनरीक्षित किया गया है। प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:–

(अ) मूलभूत सिद्धान्त :-

- जल सार्वजनिक उपयोग की वस्तु है एवं प्रत्येक व्यक्ति को पेयजल मांगने का अधिकार है।
- जन सामान्य की इस मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति सुनिश्चित करना शासन का मुख्य दायित्व है।
- समाज के असहाय एवं वंचित श्रेणी के लोगों के लिए पेयजल की आवश्यकता को पूर्ण करना सर्वोच्च वरीयता / प्राथमिकता है।

(ब) दृष्टि (Vision) :-

- ग्रामीण भारत में सब को हर समय सुरक्षित एवं पर्याप्त मात्रा में पेयजल की उपलब्धता हो।

(स) उद्देश्य :-

- ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक घरों में उचित दूरी पर स्वच्छ, सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता एवं उपयोग।
- समुदाय के द्वारा पेयजल स्रोतों का अनुश्रवण एवं निगरानी।
- समुदाय आधारित पेयजल योजना के रूपांकन में पीने–योग्य, विश्वसनीय, निरंतरता, सुविधाजनक, समानता एवं उपभोक्ता की मांग, दिशा–निर्देशक बिन्दु होंगे।
- खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायतों में नलजल प्रदाय योजनाओं से पेयजल की उपलब्धता।

- समस्त ग्रामीण शासकीय शालाओं एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता।
- पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय समुदायों को अपने पेयजल श्रोत एवं तंत्र को स्वयं संचालन के लिए आवश्यक सहायता एवं माहौल उपलब्ध कराना।

(द) लक्ष्य :-

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वर्ष 2011 से 2022 तक की समय–सीमा निर्धारित करना।

1. **वर्ष 2017 तकः–**

- 50 प्रतिशत ग्रामीण घरों में पाईप लाईन के माध्यम से जलप्रदाय जिसमें से कम से कम 35 प्रतिशत घरों में निजी नल कनेक्शन हो।
- हैण्डपंप पर निर्भरता 45 प्रतिशत से कम करना।
- समुदाय और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कम से कम 60 प्रतिशत ग्रामीण पेयजल श्रोतों एवं योजनाओं का संधारण।

2. **वर्ष 2022 तकः–**

- 90 प्रतिशत ग्रामीण घरों में पाईप लाईन के माध्यम से जलप्रदाय जिसमें से कम से कम 80 प्रतिशत घरों में निजी नल कनेक्शन हो।
- हैण्डपंप पर निर्भरता 10 प्रतिशत से कम।
- समुदाय और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा शत–प्रतिशत ग्रामीण पेयजल श्रोतों एवं योजनाओं का संधारण ।

"राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम" के अंतर्गत कियान्वित किये जाने वाले कार्यों में केन्द्र सरकार एवं राज्य शासन दोनों की भागीदारी है। विभाग इन नीति निर्देशों के अनुरूप ग्रामीण जल आपूर्ति हेतु प्रयासरत् है।

1.7 महत्वपूर्ण सांख्यिकी (माह दिसंबर, 2016 की स्थिति में) :

(1)	ग्रामों की संख्या (जनगणना 2011)	:	19716
(2)	बसाहटें	:	74647
(3)	स्थापित हैंडपंप	:	2,63,072
(4)	शालाओं में पेयजल व्यवस्था :–		
	पेयजल व्यवस्था पूर्ण शालाओं की संख्या	:	50,622
(5)	आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल व्यवस्था :–		
	पेयजल व्यवस्था पूर्ण आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	:	27,264
(6)	ग्रामीण नल जलप्रदाय योजनाएं :–		
	कुल स्वीकृत योजनाएं	:	3,384
	पूर्ण योजनाएं	:	2,765
	आंशिक पूर्ण जलप्रदाय प्रारंभ योजनायें	:	89
	प्रगतिरत् योजनाएं	:	399
	निविदा प्रकियाधीन योजनाएं	:	74

(7)	स्थल जल प्रदाय योजनाएं:–		
	कुल स्वीकृत योजनाएं	:	2,938
	पूर्ण योजनाएं	:	2,915
	प्रगतिरत् योजनाएं	:	23
(8)	पेयजल गुणवत्ता :–		
	01.04.2016 की स्थिति में गुणवत्ता प्रभावित		
	बसाहटों की संख्या –	:	1123
	1. आयरन प्रभावित बसाहटें	:	1044
	2. फ्लोराइड प्रभावित बसाहटें	:	75
	3. खारा पानी बसाहटें	:	03
	गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था		
	कराये गये बसाहटों की संख्या (दिसंबर, 2016 की स्थिति में)	:	25
(9)	सोलर आधारित ड्यूअल ऑपरेटेड पंप स्थापना कार्य :		
	(अ) एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. कार्यक्रम के अंतर्गत		
	1. कुल स्वीकृत कार्य	:	1444
	2. पूर्ण कार्य	:	1444
	(ब) आई.ए.पी. जिलों में एन.सी.ई.एफ. के अंतर्गत		
	1. कुल स्वीकृत कार्य	:	2014
	2. प्रथम चरण में प्राप्त राशि अनुसार पूर्ण किये गये कार्य	:	1033
(10)	नगरीय निकायों में जलप्रदाय व्यवस्था :–		
	नगरीय निकायों की संख्या	:	168
	नगर पालिक निगम	:	13
	नगर पालिका परिषद्	:	43
	नगर पंचायत	:	112
	कियान्वित योजनाएं	:	102
	प्रगतिरत् योजनाएं	:	66

भाग - दो

बजट विहंगावलोकन (एक दृष्टि में)

(राशि लाख रू. में)

क्र.	कार्य का विवरण	वर्ष 2014–15		वर्ष 2015–16		वर्ष 2016–17 (माह दिसम्बर 2016 तक)	
		बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय
1	नलकूप खनन कार्य (राज्य मद)	3315.00	3217.49	7645.00	7517.91	4180.00	2089.53
2	शालाओं में पेयजल व्यवस्था	1225.00	1170.27	1360.00	1355.42	1360.00	587.11
3	भूजल संवर्धन कार्य	437.50	142.31	202.50	1.07	203.00	0.00
4	पाईपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय (राज्य मद)	2000.00	1460.96	5720.00	5231.71	2925.00	1142.63
	नाबार्ड पोषित पाईपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय	4600.01	2795.42	17125.00	11216.52	16724.50	6333.37
5	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (राज्यांश)	16703.52	13614.46	8559.00	4921.25	6400.00	2374.35
6	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (केन्द्रांश)						
	1. कार्यक्रम मद	18066.48	16468.70	8668.00	5785.43	9600.00	3110.12
	2. सपोर्ट मद	460.26	476.48	200.28	141.34	226.82	161.40
	3. जल गुणवत्ता मद (WQM&SP)	285.18	224.26	241.41	141.53	136.09	130.29
7	अन्य केन्द्रीय मद (M & I Cell का गठन)	34.35	25.82	53.20	21.57	66.45	15.59
8	निर्मल भारत अभियान/स्वच्छ भारत मिशन (राज्यांश)	1500.00	837.68 *	-	-	-	-
9	जलनिकासी योजना (राज्य मद)	100.00	0.00	100.00	0.00	0.10	0.00
10	संचालन एवं संधारण (आयोजना)	856.25	818.96	940.50	854.88	940.50	421.75
11	संचालन एवं संधारण (आयोजनेत्तर)	4174.70	3553.55	4597.58	3792.72	6004.27	2991.19
12	मशीनरी एवं उपकरण	127.50	108.15	809.00	94.39	635.00	51.68
13	शहरीय/नगरीय जल प्रदाय योजना (राज्य मद)	9773.00	9095.94	13941.10	13301.83	11796.17	8485.42
14	अन्य (राज्य मद)	17322.00	12295.02	22338.22	15919.01	28963.91	17682.84

(*) योजना उच्चस्तरीय निर्णय अनुरूप पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को हस्तांतरित की जा चुकी है।

भाग - तीन

राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

3.1 राज्य योजनाएं :-

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य योजनाओं के अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर्गत ग्रामीण पेयजल प्रदाय के वे कार्य जो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होते हैं, का क्रियान्वयन राज्य योजनाओं के अंतर्गत किया जा रहा है ।

राज्य के नगरीय निकायों में पेयजल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य मद से अनुदान की राशि प्रदान की जाती है।

3.1.1 ग्रामीण पेयजल प्रदाय :-

(अ) हैण्डपम्प योजनाएं : प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के बसाहटों एवं शासकीय शालाओं में नलकूप खनन उपरांत हैंडपंप स्थापित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हैण्डपंप योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य मद से किया जाता है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में निर्धारित लक्ष्य एवं माह दिसम्बर, 2016 तक की स्थिति में प्राप्त भौतिक उपलब्धि निम्नानुसार है :–

क.	विवरण	कुल लक्ष्य	खनित नलकूप	सफल	असफल
1.	बसाहटों में नलकूप खनन	4494	3047	2603	444
2.	शालाओं में नलकूप खनन	1700	1246	1057	189
3.	नगरीय निकायों में नलकूप खनन	231	126	108	18

विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल्य बसाहटों में पेयजल व्यवस्थाः–

राज्य के 17 जिलों के 2071 ग्रामों के 2742 बसाहटों में विशेष पिछड़ी जनजाति निवासरत् है। विभाग द्वारा वित्तीय 2016–17 के दौरान 166 नलकूपों का खनन कर हैण्डपंप स्थापित किये गये है। इसके अतिरिक्त 06 सेनेटरी डगवेल का निर्माण कर पेयजल व्यवस्था करायी गयी है। अद्यतन में विभाग द्वारा इन बसाहटों में कुल 5609 हैण्डपंपों तथा 124 सेनेटरी डगवेल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।


तब


अब

विकास खण्ड लखनपुर जिला सरगुजा के विशेष पिछड़ी जनजाति, निवास रत ग्राम पटकुरा के बसाहट घटोन (मुख्य बस्ती) पहाड़ पर स्थित है। बसाहट में लगभग 240 मांझी, उरांव, कोरवा जनजाति निवासरत है। यह बसाहट पहुंच विहीन होने के कारण दुर्गम एवं कठिन मार्गो से चल कर विभागीय मशीन द्वारा नलकूप खनन कार्य सम्पादित कर पेयजल व्यवस्था उपलब्ध करायी गयी।

(ब) ग्रामीण नलजल प्रदाय योजनाएं :

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति के लिए नलजल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन राष्ट्रीय ग्रामीण कार्यक्रम के अतिरिक्त राज्य मद से भी किया जाता है। नलजल प्रदाय योजनाओं के अंतर्गत पाईप लाईन एवं उच्चस्तरीय टंकी के माध्यम से घरेलू कनेक्शन द्वारा पेयजल की आपूर्ति की जाती है।

नलजल प्रदाय योजनाओं के अतिरिक्त मझौले ग्राम अथवा ऐसे ग्राम जहाँ पेयजल स्रोत का जलस्तर नीचे हो अथवा निर्मित जल स्रोत पीने योग्य न हो, वहाँ दूर स्थित स्रोत से पाईप लाईन द्वारा ग्राम/बसाहट में निवासरत् जनसमुदाय/परिवार/व्यक्ति को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु नलजल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता रहा है ।

वर्ष 2013–14 से राज्य में स्थलजल प्रदाय योजना का प्रावधान नहीं किया जा रहा है। पूर्व से क्रियान्वित समस्त स्थल जल प्रदाय योजनाओं को टंकी युक्त नलजल योजना में परिवर्तित करने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है।

स. समूह नलजल प्रदाय योजनाः

विगत कुछ समय से भू–गर्भीय जल श्रोतों के अत्यधिक दोहन से भू–गर्भीय जल स्तर में गिरावट परिलक्षित हुई है, वहीं पेयजल की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। परिणामतः भूगर्भीय जल श्रोतों की निरंतरता बनाए रखने एवं पेयजल व्यवस्था के लिए भू–गर्भीय जल पर निर्भरता को कम करते हुए सतही श्रोतों का अधिकाधिक उपयोग आज की महती आवश्यकता हो गई है। प्रदेश में ऐसे बसाहटों जहां पर्याप्त मात्रा में भूगर्भीय जल श्रोत उपलब्ध नहीं है अथवा प्राप्त भूजल की गुणवत्ता प्रभावित है, उन ग्रामों के समूहों के लिए सतही श्रोतों पर आधारित समूह नलजल योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

क्रियान्वित की जा रही समूह नलजल प्रदाय योजनाएं

क्र.	जिला	विकासखंड	नलजल प्रदाय योजना का नाम	ग्रामों की संख्या	स्वीकृत योजना की लागत (रु. लाखों में)	योजना स्वीकृति की दिनांक
1	बेमेतरा	नवागढ़	विकासखंड नवागढ़ के खारे पानी से प्रभावित ग्रामों की समूह जलप्रदाय योजना (Salinity Affected)	54	6297.30	15.02.2013
2	बेमेतरा	बेमेतरा	विकासखंड बेमेतरा के खारे पानी से प्रभावित ग्रामों की समूह जलप्रदाय योजना (Salinity Affected)	57	6322.03	18.02.2013
3	बेमेतरा	साजा	विकासखंड साजा के खारे पानी से प्रभावित ग्रामों की समूह जलप्रदाय योजना (Salinity Affected)	41	3825.00	15.02.2013

क्र.	जिला	विकासखंड	नलजल प्रदाय योजना का नाम	ग्रामों की संख्या	स्वीकृत योजना की लागत	योजना स्वीकृति की दिनांक
4	राजनांदगांव	चौकी	विकासखंड चौकी के आर्सेनिक से प्रभावित ग्रामों की समूह जलप्रदाय योजना (Arsenic Affected)	18	2922.987	16.03.2016
5	बालोद	गुंडरदेही	ग्राम देवरी (द) समूह जलप्रदाय योजना	7	1095.68	15.02.2013
6	बस्तर (जगदलपुर)	बस्तर	कोसारटेडा समूह जलप्रदाय योजना (फ्लोराईड प्रभावित)	29	4976.00	18.02.2013
7	दंतेवाड़ा	गीदम	ग्राम छिंदनार समूह जलप्रदाय योजना	9	1835.36	18.03.2016
8	कबीरधाम	बोड़ला	पोड़ी समूह जलप्रदाय योजना	11	1417.06	09.02.2016
9	राजनांदगांव	राजनांदगांव	मोहरा एनीकट पर आधारित 23 ग्रामों की समूह जलप्रदाय योजना	23	2334.60	18.02.2016
10	राजनांदगांव	राजनांदगांव	धीरी एनीकट पर 24 ग्रामों की समूह जलप्रदाय योजना	24	2877.44	18.02.2016
11	बीजापुर	भोपालपटनम	भोपालपट्नम रालापल्ली की समूह जलप्रदाय योजना	19	1553.81	16.11.2016
कुल				**292**	**35457.27**	



चौकी समूह जलप्रदाय योजना अंतर्गत निर्माणधीन जल शुद्धीकरण संयंत्र

एन.एम.डी.सी. के निक्षेप मद के अंतर्गत जिला दंतेवाड़ा में 08 ग्रामों की नेरली समूह जल प्रदाय योजना लागत रु. 1,522.00 लाख एवं 17 ग्रामों की धुरली समूह जल प्रदाय योजना लागत रु. 4,238.00 लाख की एन.एम. डी.सी. द्वारा दी गई सैद्धांतिक अनुमति उपरांत योजना का कार्य प्रगति पर है।

एन.एम.डी.सी. के सहयोग से समूह जलप्रदाय योजना:-

क्र.	जिला	विकासखंड	नलजल प्रदाय योजना का नाम	ग्रामों की संख्या	योजना की लागत (रु. लाखों में)
1	दंतेवाड़ा	कुआकोण्डा	नेरली समूह जलप्रदाय योजना	8	1522.00
2	दंतेवाड़ा	कुआकोण्डा	धुरली समूह जलप्रदाय योजना	17	4238.00

3.1.2 नगरीय जल प्रदाय योजनाएं :

नगरीय जलप्रदाय योजनाओं के सर्वेक्षण, रूपांकन एवं कियान्वयन का कार्य स्थानीय निकायों की माँग एवं सहमति पर विभाग द्वारा किया जाता है। इन योजनाओं का वित्तीय ढांचा 70 प्रतिशत शासकीय अनुदान एवं 30 प्रतिशत नगरीय निकायों को ऋण के रूप में कियान्वित की जाती है। संचालन एवं संधारण का कार्य संबंधित नगरीय निकाय द्वारा किया जाता है। योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–



जशपुर आवर्धन योजना अंतर्गत निर्मित 6.00 मी. व्यास का आर.सी.सी. इंटेकवेल

अ. प्रगतिरत् योजनाएं:-

क.	जिले का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	योजना का नाम	योजना की स्वीकृत लागत (रू. लाख में)	स्वीकृति दिनांक
1	रायपुर	रायपुर (उत्तर)	रायपुर शहर के नलघर, कुशालपुर एवं कृषि उपज मंडी क्षेत्रों की सुदृढ़ीकरण पुनरीक्षित जल प्रदाय योजना	3025.387	01.06.2016
2	रायपुर	अभनपुर	गोबरा नवापारा नगर की पुनरीक्षित आवर्धन जल प्रदाय योजना	1951.40	19.05.2016
3	रायपुर	धरसींवा	कुरा नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1083.87	25.08.2015
4	रायपुर	अभनपुर	अभनपुर नगर की पुनरीक्षित आवर्धन जल प्रदाय योजना	2630.65	04.05.2016
5	रायपुर	आरंग	आरंग नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1690.22	10.03.2015
6	धमतरी	धमतरी	आमदी नगर की पुनरीक्षित आवर्धन जल प्रदाय योजना	388.68	22.06.2016
7	धमतरी	सिहावा	नगरी आवर्धन जल प्रदाय योजना	649.82	13.02.2013
8	धमतरी	कुरूद	कुरूद नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1728.34	25.03.2015
9	धमतरी	कुरूद	भखारा–भठेली की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1061.00	14.05.2015
10	धमतरी	सिहावा	मगरलोड–भैंसमुड़ी की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1023.96	26.03.2016
11	महासमुन्द	बागबाहरा	बागबाहरा नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1306.75	11.02.2013
12	महासमुंद	महासमुंद	तुमगांव नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	930.02	22.03.2016
13	गरियाबंद	बिंद्रानवागढ़	गरियाबंद नगर की पुनरीक्षित आवर्धन जल प्रदाय योजना	1163.84	08.09.2016
14	गरियाबंद	राजिम	राजिम नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	729.99	04.12.2015
15	बलौदाबाजार – भाटापारा	बिलाईगढ़	भटगांव नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	973.90	14.02.2013
16	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	लवन नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1087.02	14.02.2013
17	बलौदाबाजार – भाटापारा	बिलाईगढ़	टुण्डरा नगर की आवर्धन जलप्रदाय योजना	634.39	14.02.2013
18	बलौदाबाजार – भाटापारा	भाटापारा	सिमगा नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1561.74	10.03.2015

क.	जिले का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	योजना का नाम	योजना की स्वीकृत लागत (रू. लाख में)	स्वीकृति दिनांक
19	बलौदाबाजार – भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	3052.81	21.04.2015
20	बलौदाबाजार – भाटापारा	बिलाईगढ़	बिलाईगढ़ नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	2022.38	04.05.2016
21	दुर्ग	अहिवारा	जामुल नगर की पुनरीक्षित आवर्धन जल प्रदाय योजना	2346.30	03.02.2017
22	दुर्ग	धमधा	धमधा नगर की पुनरीक्षित आवर्धन जल प्रदाय योजना	1020.13	03.02.2017
23	दुर्ग	पाटन	पाटन नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1524.00	15.09.2015
24	दुर्ग	दुर्ग ग्रामीण	उतई नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1465.89	05.02.2016
25	बेमेतरा	नवागढ़	मारो नगर की पुनरीक्षित आवर्धन जलप्रदाय योजना	343.81	25.04.2016
26	बेमेतरा	बेमेतरा	बेमेतरा नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1655.00	12.03.2012
27	बेमेतरा	नवागढ़	नवागढ़ नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	594.54	11.03.2015
28	कबीरधाम	कवर्धा	सहसपुर लोहारा नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	346.22	11.02.2013
29	कबीरधाम	पंडरिया	पांडातराई नगर की जलप्रदाय योजना	294.13	31.03.2015
30	राजनांदगांव	खैरागढ़	छुईखदान नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	116.24	11.02.2013
31	राजनांदगांव	डोगरगढ़	डोगरगढ़ नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1529.64	31.03.2015
32	राजनांदगांव	राजनांदगांव	राजनांदगांव शहर के मेडिकल कॉलेज एवं आसपास के क्षेत्रों में जल प्रदाय योजना	827.74	17.07.2015
33	बालोद	गुण्डरदेही	अर्जुंदा नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	337.98	13.02.2013
34	बालोद	बालोद	बालोद नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1884.00	14.02.2013
35	बालोद	डौंडीलोहारा	चिखलाकसा नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	295.13	28.03.2012
36	बालोद	डौंडीलोहारा	दल्लीराजहरा नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	3165.66	04.06.2016
37	बिलासपुर	मरवाही	गौरेला नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1142.26	29.04.2013

क.	जिले का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	योजना का नाम	योजना की स्वीकृत लागत (रू. लाख में)	स्वीकृति दिनांक
38	बिलासपुर	बिलासपुर	बिलासपुर वृहद आवर्धन जल प्रदाय योजना मूल योजना UIDSSMT के अंतर्गत लागत रू. 4142.60 लाख की दिनांक 28.03.2007को स्वीकृत एवं पुनरीक्षित योजना लागत रू. 8012. 00 लाख की दिनांक 25.03.2010 को राज्य मद से स्वीकृत	8012.00	25.03.2010
39	मुंगेली	मुंगेली	मुंगेली नगर की पुनरीक्षित आवर्धन जल प्रदाय योजना	656.48	08.01.2015
40	मुंगेली	बिल्हा	सरगांव नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	293.05	04.02.2015
41	रायगढ़	खरसिया	किरोड़ीमल नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	387.64	13.02.2013
42	रायगढ़	धरमजयगढ़	घरघोड़ा नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	3014.97	12.03.2013
43	रायगढ़	धरमजयगढ़	धरमजयगढ़ नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	856.87	12.02.2013
44	रायगढ़	रायगढ़	सरिया नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	237.50	05.03.2015
45	जांजगीर–चांपा	चांपा	चांपा नगर की पुनरीक्षित आवर्धन जल प्रदाय योजना	1590.00	20.08.2015
46	जांजगीर–चांपा	चंद्रपुर	चंद्रपुर नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	217.68	12.03.2012
47	जांजगीर–चांपा	पामगढ़	राहौद नगर की आवर्धन जलप्रदाय योजना	233.12	12.02.2013
48	जांजगीर–चांपा	सक्ती	सारागांव नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	212.02	19.10.2011
49	जांजगीर–चांपा	अकलतरा	बलौदा नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	544.04	31.03.2015
50	जांजगीर–चांपा	सक्ती	नया बाराद्वार नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	321.96	10.03.2015
51	बलरामपुर	रामानुजगंज	बलरामपुर नगर की पुनरीक्षित आवर्धन जल प्रदाय योजना	806.85	05.05.2012
52	बलरामपुर	सामरी	राजपुर नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	548.08	13.03.2012
53	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	मनेन्द्रगढ़ नगर की पुनरीक्षित आवर्धन जल प्रदाय योजना	1715.46	28.08.2015
54	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	चिरमिरी नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	3448.75	29.04.2013
55	सूरजपुर	प्रेमनगर	सूरजपुर नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	2352.40	25.03.2015

क.	जिले का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	योजना का नाम	योजना की स्वीकृत लागत (रू. लाख में)	स्वीकृति दिनांक
56	सूरजपुर	प्रेमनगर	प्रेमनगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	385.05	10.03.2015
57	सूरजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	307.75	02.05.2012
58	कोरबा	कटघोरा	कटघोरा नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1073.28	14.02.2013
59	बस्तर	बस्तर	बस्तर नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	949.49	14.02.2013
60	कोण्डागांव	केशकाल	केशकाल नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	649.90	14.02.2013
61	कोण्डागांव	केशकाल	फरसगांव नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	653.41	14.02.2013
62	कांकेर	कांकेर	कांकेर नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	2454.46	30.05.2012
63	कांकेर	अंतागढ़	अंतागढ़ नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	413.56	10.03.2015
64	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	बड़ेबचेली नगर की जल प्रदाय योजना	365.71	29.03.2008
65	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	किरंदुल नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	616.59	08.03.2010
66	सुकमा	कोंटा	सुकमा नगर की पुनरीक्षित आवर्धन जल प्रदाय योजना	477.53	08.09.2016

3.2 केंद्र प्रवर्तित/पोषित योजनाएं: केन्द्रीय वित्त पोषण पर पेयजल एवं संबंधित अन्य योजनाओं का कियान्वयन विभाग द्वारा किया जा रहा है। विभाग में संचालित केन्द्र प्रवर्तित/पोषित योजनाओं का विवरण निम्ननुसार है:–

3.2.1 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम:

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009–10 से ग्रामीण पेयजल नीति में परिवर्तन किया जाकर पूर्व संचालित ''गतिवर्धित ग्रामीण जलप्रदाय कार्यक्रम'' के स्थान पर "राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम" प्रारंभ किया गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष घटक–वार कार्ययोजना तैयार कर अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। वित्तीय वर्ष के लिए अनुमोदित कार्ययोजना पर प्राप्त आबंटन अनुसार लक्ष्यों का निर्धारण कर कियान्वयन किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का कियान्वयन मुख्यतः तीन मदों में कियान्वित किया जाता है, जो निम्नानुसार है :–

(अ) **कार्यक्रम मद** :– योजनाओं के कियान्वयन हेतु इस मद में राशि प्राप्त होती है।

(ब) **सपोर्ट मद** :– योजनाओं के प्रचार–प्रसार, जन–जागरूकता एवं अन्य सहायक गतिविधियों के लिए इस मद में राशि प्राप्त होती है।

(स) जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी :– इस मद में पेयजल गुणवत्ता के परीक्षण से संबंधित समस्त कार्य हेतु राशि प्राप्त होती है।

छत्तीसगढ़ राज्य के लिए वर्ष 2016–17 में रू. 282.65 करोड़ की कार्ययोजना भारत सरकार पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा अनुमोदित है ।

(अ) कार्यक्रम मद :– इस मद के अंतर्गत 4 घटक हैं, जो निम्नानुसार है:–

अ–1 कव्हरेज :

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत इस घटक के लिये उपलब्ध कुल राशि का 47 प्रतिशत निर्धारित है। इस घटक के अंतर्गत बसाहटों में जहां पेयजल आपूर्ति अपेक्षित मात्रा से कम हैं, वहां अतिरिक्त पेयजल प्रदाय का कार्य किया जाना है। इस घटक हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 50:50 निर्धारित है।

''सांसद आदर्श ग्राम योजना'' के अंतर्गत चयनित ग्राम पंचायतों के ग्रामों की नल जल प्रदाय योजनाओं के कार्य भी कव्हरेज मद अंतर्गत संपादित किये जा रहे है। चयनित ग्रामों में नलजल प्रदाय योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:–

''सांसद आदर्श ग्राम योजना'' के अंतर्गत चयनित ग्रामों की नल जल प्रदाय योजनाओं की जानकारी

माननीय सांसद लोकसभा द्वारा अनुशंसित

क्र.	जिला	विकासखण्ड	विधानसभा क्षेत्र का नाम	लोक सभा क्षेत्र का नाम	चयनित ग्राम	स्वीकृत योजना की लागत (रु. लाख में)	प्रशा. स्वी. क्र./दिनांक
1	रायपुर	धरसींवा	धरसींवा	रायपुर	गिरौद	40.55	389/12.02.2016
2	धमतरी	कुरूद	कुरुद	महासमुंद	चर्रा	23.82	391/12.02.2016
3	राजनांदगांव	मोहला	मोहला मानपुर	राजनांदगांव	गोटा टोला (मुख्य बस्ती)	35.14	392/15.02.2016
					गोटा टोला (शांतिनगर)	41.97	393/15.02.2016
					गोटा टोला (डोंगरीटोला)	13.92	34/18.01.2016
					गोटा टोला (साल्हेटोला)	19.50	35/19.01.2016
4	दुर्ग	दुर्ग	दुर्ग ग्रामीण	दुर्ग	मचांदुर	65.24	एफ 5-112/2016/34-2/627, दिनांक 24.02.2016
5	बस्तर	बस्तर	नारायणपुर	बस्तर	चपका	44.78	04/06.05.2016
6	कांकेर	कोयलीबेड़ा	अंतागढ़	कांकेर	छोटीकापसी	-	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्वीकृत।

क्र.	जिला	विकासखण्ड	विधानसभा क्षेत्र का नाम	लोक सभा क्षेत्र का नाम	चयनित ग्राम	स्वीकृत योजना की लागत (रु. लाख में)	प्रशा. स्वी. क्र./दिनांक
7	कोरबा	कोरबा	रामपुर	कोरबा	तिलकेजा	28.07	390/16.02.2016
8	मुंगेली	पथरिया	मुंगेली	बिलासपुर	हथनीकला	19.93	18/31.03.2016
9	जांजगीर–चांपा	बलौदा	अकलतरा	जांजगीर–चांपा	जावलपुर	68.77	एफ 5-125/2016/34-2/1625, दिनांक 20.05.2016
10	रायगढ़	लैलूंगा	लैलूंगा	रायगढ़	मुस्कुटी	9.40	08/30.03.2016
					भकुर्रा	39.07	03/26.04.2016
					गहिरा	14.34	01/07.05.2016
11	सरगुजा	अंबिकापुर	लुण्ड्रा	सरगुजा	करम्हा	97.79	एफ 5-113/2016/34-2/1222, दिनांक 30.03.2016

माननीय सांसद राज्यसभा द्वारा अनुशंसित

क्र.	जिला	विकासखण्ड	विधानसभा क्षेत्र का नाम	लोक सभा क्षेत्र का नाम	चयनित ग्राम	स्वीकृत योजना की लागत (रु. लाख में)	प्रशा. स्वी. क्र./दिनांक
1	जशपुर	फरसाबहार	कुनकुरी	माननीय सांसद राज्यसभा द्वारा अनुशंसित	जोरंद झरिया	73.10	एफ 5-119/2016/34-2/978, दिनांक 14.03.2016
2	जशपुर	कासाबेल	पत्थलगांव	माननीय सांसद राज्यसभा द्वारा अनुशंसित	बटईकेला	78.08	एफ 5-126/2016/34-2/1623, दिनांक 20.05.2016
3	बलौदाबाजार	बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	माननीय सांसद राज्यसभा द्वारा अनुशंसित	पुरगांव	32.51	19/02.07.2016
4	दुर्ग	दुर्ग	दुर्ग ग्रामीण	माननीय सांसद राज्यसभा द्वारा अनुशंसित	मोहलई	-	पूर्व से योजना क्रियान्वित है।
5	गरियाबंद	मैनपुर	बिन्द्रानवागढ़	माननीय सांसद राज्यसभा द्वारा अनुशंसित	कुल्हाड़ीघाट	48.14	23.03.2016
					कठवा	7.66	01/30.04.2016
					बेसराझर	13.11	02/07.05.2016
					गवरमुंड	10.63	03/07.05.2016
					देवडोंगर	15.31	04/07.05.2016
					तारझर	12.32	05/07.05.2016



सोलर पावर पंप स्थापना कार्य
सांसद आदर्श ग्राम छोटेकापसी विकासखण्ड कोयलीबेडा

सांसद आदर्श ग्राम छोटे कापसी विकासखण्ड कोयलीबेड़ा सोलर पावर पंप स्थापना कार्य

पूर्व वर्षों के प्रगतिरत् कार्यों के साथ–साथ वित्तीय वर्ष 2016–17 में निम्नानुसार नये कार्य प्रस्तावित किये गये हैं :–

मद	कार्य योजना में प्रस्तावित
1. बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	583
2. नवीन नलजल योजनाएं	09
3. नवीन सौर ऊर्जा आधारित जल प्रदाय योजनाएं वाम पंथ उग्रवाद से प्रभावित जिलों में	150
4. आंगनबाड़ी में नलकूप के माध्यम से पेयजल व्यवस्था	1185
5. बसाहटों में सिंगलफेस पॉवर पम्प का प्रदाय एवं स्थापना	17
6. नई सौर ऊर्जा आधारित जल प्रदाय योजनाएं (नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से)	596
7. स्थल जलप्रदाय योजना को नलजल प्रदाय योजना में परिवर्तित करना	02
योग –	**2542**

नलजल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन में खुले में शौच मुक्त ग्रामों को प्राथमिकता दी जा रही है।

अ–2 जल गुणवत्ता

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत इस घटक हेतु कुल वार्षिक आवंटन में से 20 प्रतिशत राशि नियत है। केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 50 : 50 नियत है। इस घटक के अंतर्गत गुणवत्ता से प्रभावित बसाहटों के स्रोतों के जल के शोधन उपरांत अथवा वैकल्पिक व्यवस्था कर पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुऐ स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए प्रगतिरत् कार्यों के अतिरिक्त निम्नानुसार नये कार्य प्रस्तावित किये गये हैं :–

1.	**समूह नलजल प्रदाय योजना**		
	फ्लोराइड तत्व की अधिकता से प्रभावित बसाहटों के लिए	–	02
2.	**स्टेण्ड एलोन वॉटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम की स्थापना का कार्य**		
	2.1 फ्लोराइड की अधिकता से प्रभावित बसाहटों के लिए	–	113 नग
	2.2 लौहयुक्त की अधिकता से प्रभावित बसाहटों के लिए	–	1189 नग
3.	वैकल्पिक श्रोत निर्माण का कार्य	–	116 नग
4.	दूरस्थ श्रोत से पेयजल व्यवस्था का कार्य	–	101 नग

अ–3 संचालन एवं संधारण

ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित पेयजल योजनाओं (हैंडपंप, नलजल प्रदाय एवं स्थल जल प्रदाय योजनाओं) के संचालन एवं संधारण कार्यक्रम हेतु कुल प्रावधानित वार्षिक निधि का अधिकतम 15 प्रतिशत राशि निर्धारित है। इस घटक में भी केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 50 : 50 है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हैण्डपंप योजनाओं, नलजल प्रदाय योजना एवं स्थलजल प्रदाय योजना के संधारण कार्य निर्धारित हैं। इसी क्रम में हैण्डपंपों के नियमित संधारण कार्यों के साथ–साथ स्थापित हैण्डपंपों के विशेष संधारण कार्य, राईज़र पाईप बदलने/बढ़ाने के कार्यों के अतिरिक्त 15 वर्षों से अधिक पुराने हैण्डपंपों के जीर्णोद्धार के कार्य भी प्रावधानित है। हैण्डपंपों के जीर्णोद्धार के कार्य में आवश्यकतानुसार नये हैण्डपंप सेट (राईज़र पाईप सहित) की स्थापना एवं प्लेटफार्म का पुर्ननिर्माण कार्य सम्मिलित है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कियान्वित नलजल प्रदाय योजना एवं स्थल जल प्रदाय योजनाओं के संधारण के लिए स्वीकृत मापदण्ड अनुसार क्रमशः रू. 15000.00 एवं रू. 5000.00 के वार्षिक अनुदान ग्राम पंचायतों को प्रदान करने का प्रावधान है।

अ–4 निरंतरता (सस्टेनेबिलिटी)

ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध पेयजल श्रोत एवं योजनाओं की निरंतरता बनाये रखने हेतु भूजल संवर्धन, वर्षा जल संचयन/संग्रहण, भू–जल श्रोत के अतिरिक्त सतही श्रोत का निर्माण इत्यादि कार्यों हेतु कार्यक्रम के कुल वार्षिक प्रावधान का 10 प्रतिशत राशि (अधिकतम) निर्धारित है। इस घटक के लिए केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60 : 40 है। घटक में प्रगतिरत् कार्यों के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2016–17 में नवीन कार्य निम्नानसुार प्रस्तावित हैं:–

1.	सब सरफेस डाइक	–	18
2.	रेन वॉटर हार्वेस्टिंग	–	709
3.	नलकूपों में जल आवक क्षमता बढ़ाने हेतु हाईड्रोफ्रेक्चरिंग	–	1995
4.	स्प्रिंग सोर्स डवलपमेंट	–	48
5.	रिचार्ज स्ट्रक्चर (CGWB द्वारा सुझाव अनुसार)	–	39
6.	नलकूपों में जल आवक क्षमता बढ़ाने हेतु नलकूपों की सफाई	–	853

भारत सरकार पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी पत्र दिनांक 19 मई 2016 के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत कार्ययोजना वर्ष 2016–17 में नई योजनाएं केवल सांसद आदर्श ग्रामों के लिए एवं जलगुणवत्ता से प्रभावित बसाहटों (फ्लोराइड एवं आर्सेनिक) तथा प्रगतिरत योजनाओं को पूर्ण करने के निर्देश हैं। तदानुसार योजनाओं का कार्य संपादन कराया जा रहा है।

(ब) सपोर्ट मद

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत चल रही योजनाओं को गति प्रदान करने एवं साफ्टवेयर गतिविधियों जैसे सूचना, शिक्षा, संचार, क्षमता वृद्धि आदि में सहायता के उददेश्य से सहायक कार्यों का प्रावधान किया गया है। इनके अंतर्गत जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्य, जल परीक्षण, प्रयोगशाला स्थापना, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां, प्रशिक्षण, सेमिनार के साथ–साथ संचार एवं क्षमता विकास के कार्य एवं मैनेजमेन्ट इनफॉर्मेशन सिस्टम (सूचना प्रौद्योगिकी आधारित) आदि के कार्य संपादित किये जाते हैं। सहायता संबंधी कार्यों हेतु 5 प्रतिशत राशि निर्धारित है। जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्य की महत्ता को देखते हुए 3 प्रतिशत राशि इस कार्य के लिए निर्धारित की गई है, दोनों मदों में कुल 8 प्रतिशत राशि प्रावधानित है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में सहायक गतिविधियों के लिए रू. 1214.99 लाख तथा जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी गतिविधियों के लिए रू 810.20 लाख इस प्रकार दोनों गतिविधियों के लिए कुल रू. 2094.00 लाख की कार्य योजना अनुमोदित है। संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

सहायक गतिविधियॉ :

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) के अंतर्गत की जाने वाली सहायक गतिविधियों हेतु निर्धारित प्रावधानित राशि 5% अंतर्गत निम्नानुसार गतिविधियॉ प्रस्तावित हैं –

01. सूचना शिक्षा एवं संचार गतिविधियां :

प्रशिक्षण, कार्यशाला, व्यक्तिगत् संपर्क, समाचार पत्र विज्ञापन, एस.एम.एस. से प्रचार, कला जत्था, मेला में प्रदर्शनी, दिवाल लेखन, बेनर, होर्डिंग, पोस्टर, पांपलेट, अच्छे कार्य एवं अनुभव के आदान प्रदान हेतु अवलोकन/भ्रमण कार्यक्रम (एक्सपोजर विजिट), प्रिन्ट सामाग्रियों का वितरण, सम्मान समारोह, रैली, सामाजिक जागरूकता/गतिशीलता, परामर्श, गीत–संगीत, नाटक, रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र एवं विभिन्न माध्यमों द्वारा पेयजल के विषय पर प्रचार–प्रसार गतिविधियां।

02. सामुदायिक सहभागिता एवं प्रशिक्षण :

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु ग्राम सभाओं का आयोजन, सामुदायिक रैली, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों की बैठक, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं स्थानीय निकायों के सदस्यों को ग्रामीण पेयजल योजनाओं के परिकल्पना, अनुश्रवण एवं संचालन हेतु प्रशिक्षण तथा मैदानी स्तर के अमले के साथ–साथ विभागीय अभियंताओं का प्रशिक्षण आदि।

03. मैनेजमेन्ट इनफार्मेशन सिस्टम एवं अन्य सहायक गतिविधियॉं :

उपखण्ड़ स्तर तक के कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण, प्रिंटर एवं यू.पी.एस. आदि का क्रय, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जी.आई.एस. डाटा प्रोडक्ट एवं एलाईड गतिविधियॉं, समस्या निदान पद्धति एवं उपग्रह छाया चित्रों पर आधारित मैप की सहायता से श्रोतों का चिन्हांकन, समस्त पेयजल श्रोतों का जी.आई.एस. मैपिंग एवं पेयजल श्रोतों के आंकड़ों के संकलन का कार्य, राज्य तकनीकी अभिकरण, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण कार्य, अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं आदि।

04. स्थापना व्यय :–

छ.ग. राज्य जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन (WSSO) में नियोजित अमले की स्थापना एवं सहायक सामग्रियों पर व्यय तथा जिला जल एवं स्वच्छता मिशन, ब्लॉक रिसोर्स सेन्टर हेतु मानव संसाधन एवं सहायक सामाग्रियों की व्यवस्था का प्रस्ताव। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत सहायक गतिविधियों में अन्य बातों के अतिरिक्त ग्रामीण स्तर पर समुदाय को पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित जानकारी, जागरूकता एवं उनकी सहभागिता पर विशेष ध्यान दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त सुरक्षित जल प्रदाय के लिए नलजल योजनाओं के माध्यम से घरेलू नल कनेक्शन द्वारा जलप्रदाय को प्राथमिकता दी जानी है।

ग्रामीणों को घरेलू नल कनेक्शन के उपयोग के लिए प्रेरित एवं उपयोग सुनिश्चित किये जाने पर प्रत्येक निजी घरेलू कनेक्शन के लिए प्रोत्साहन–कर्ता यथा, आशा कार्यकर्ता (मितानिन) इत्यादि को सपोर्ट मद से प्रोत्साहन राशि रू. 75.00 दिये जाने का प्रावधान है।

(स) जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) के अंतर्गत की जाने वाली जलगुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी के कार्य हेतु निर्धारित प्रावधानित राशि 3% अंतर्गत निम्नानुसार गतिविधियॉं प्रस्तावित हैं –

प्रदेश में स्थापित पेयजल श्रोतों का फील्ड टेस्ट किट एवं पेयजल परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से जल परीक्षण का कार्य। एक राज्य स्तरीय, 07 उपखण्ड स्तरीय नवीन प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं 14 प्रयोगशालाओं का उन्नयन का कार्य। नये फील्ड टेस्ट किट प्रदाय के साथ पूर्व प्रदायित फील्ड टेस्ट किट के लिए आवश्यक रिफिल प्रदाय एवं ग्राम स्तर पर जल परीक्षण हेतु ग्रामीणों को प्रशिक्षण का कार्य। जीआईएस मैपिंग के लिये श्रोत परीक्षण एवं डाटा संग्रहण का कार्य।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में जलगुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम के लिए **रू. 810.20** लाख की कार्ययोजना अनुमोदित है, के अंतर्गत लक्षित विवरण निम्नानुसार हैः–

1.	ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण	–	27,000
2.	फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से जल परीक्षण	–	2,50,000
3.	प्रयोगशाला में जल परीक्षण	–	30,000
4.	राज्य स्तरीय प्रयोगशाला की स्थापना	–	1
5.	स्थापित प्रयोग शालाओं का उन्नयन	–	14
6.	उपखण्ड स्तरीय प्रयोगशालाओं की स्थापना	–	07
7.	नयी फील्ड टेस्ट किट का वितरण	–	2,000
8.	पूर्व वितरित फील्ड टेस्ट किट के लिए रसायन का वितरण	–	6,000

3.2.2 एन.सी.ई.एफ. के अंतर्गत आई.ए.पी. जिलों में सोलर पंप स्थापना का कार्य :-

अति उग्रवाद से प्रभावित जिलों के बसाहटों में सोलर पंप आधारित नलजल प्रदाय योजना कियान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत उच्च जलक्षमता वाले बोरवेल में सोलर उर्जा संचालित सबमर्सिबल पंप, 3 मीटर की उंचाई पर स्थित एचडीपीई/स्टेनलेस स्टील टंकी एवं पाईप लाईन के द्वारा ग्रामीण घरों/आवासों में नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय किया जाना है। विशेष उल्लेखनीय है कि इस योजनांतर्गत बोरवेल में स्थापित हैण्डपंप यथावत कार्यरत् रहता है। योजना की वित्तीय व्यवस्था नेशनल क्लीन एनर्जी फंड से 40 प्रतिशत, एन.आर. डी.डब्ल्यू.पी. (केन्द्रांश) से 30 प्रतिशत एवं राज्यांश से 30 प्रतिशत के अनुपात में की जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य के 10 आई.ए.पी. जिलों (पूर्व के 18 जिलों में से) के 1722 बसाहटें इस योजनांतर्गत चिन्हित की गई हैं। प्रथम चरण में इस योजना के कियान्वयन हेतु 960 बसाहटों के लिए एन.सी.ई.एफ. से रू. 1958 लाख तथा अनुपातिक राशि एन. आर.डी.डब्ल्यू.पी. के केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि जारी की गई है। इस योजना के अंतर्गत 981 बसाहटों में सोलर आधारित ड्यूअल ऑपरेटिंग सिस्टम से जलप्रदाय किया जा रहा है। उपरोक्त उपलब्धि प्राप्त करने वाले राज्य में छत्तीसगढ़ का स्थान भारत में प्रथम है।

भारत सरकार द्वारा उपलब्धि को देखते हुए द्वितीय चरण हेतु राशि रू. 2065.22 लाख जारी किये गये है जिसके अंतर्गत 1054 सोलर आधारित ड्यूअल ऑपरेटिंग पंपों की स्थापना के कार्य प्रस्तावित हैं। इस वित्तीय वर्ष में राशि की उपलब्धता अनुसार 10 आई.ए.पी. जिलों में 150 सोलर पंप स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

3.2.3 एम.एन.आर.ई. के अंतर्गत सोलर पंप स्थापना का कार्य :-

भारत सरकार पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से छ.ग. राज्य हेतु 2000 ग्रामीण बसाहटों में सोलर ड्यूअल पंप की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसकी वित्तीय व्यवस्था निम्नानुसार हैः–

1. सोलर पैनल एवं पंपिंग सिस्टम –लागत रू. 1.80 लाख

अ. **एम.एन.आर.ई.** मद से – रू. 43,200/–(डी.सी. पंप हेतु) रू. 37,800/– (ए.सी. पंप हेतु)

ब. **एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.(सस्टेनेबिलिटी)** – रू.1.368 लाख

(60% सस्टेनबिलिटी से एवं 40% राज्यांश)

2. पाईप लाईन, टंकी एवं सिविल कार्य – इस कार्य के लिए शत प्रतिशत राशि एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के कव्हरेज मद से व्यय की जानी है। जिसमें केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 50 : 50 प्रतिशत होगा। एम.एन.आर.ई. के अंतर्गत सोलर पंप स्थापना के कार्य हेतु, भारत सरकार पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण क्रियान्वयन प्रारंभ नहीं किया गया।

3.2.4 नीति आयोग से प्राप्त निधि :-

भारत सरकार, नीति आयोग (ग्रामीण विकास खंड) नई दिल्ली द्वारा आर्सेनिक एवं फ्लोराईड से प्रभावित राज्यों में पेयजल व्यवस्था हेतु नीति आयोग के अंतर्गत राशि रू. 105.00 लाख का आबंटन राज्य को प्राप्त हुआ है। इसके अंतर्गत 15 नग फ्लोराईड रिमूव्हल प्लांट स्थापित किया जाना प्रास्तावित है। स्थापित किये जा रहे फ्लोराइड रिमूव्हल प्लांट की प्रगति निम्नानुसार है :–

क.	जिला	विकासखंड	ग्राम का नाम	कार्य की अद्यतन स्थिति
1	रायपुर	अभनपुर	उमरकोटी	पूर्ण
2		आरंग	छटेरा	पूर्ण
3		आरंग	भलेरा	पूर्ण
4		तिल्दा	रजिया	पूर्ण
5		धरसींवा	कपसदा	पूर्ण
6	महासमुंद	बागबाहरा	हरनादादर	पूर्ण
7		बागबाहरा	रोदा	पूर्ण
8		बागबाहरा	खल्लारी	90 प्रतिशत पूर्ण
9		बागबाहरा	धरमापुर	90 प्रतिशत पूर्ण
10		बागबाहरा	तमोरा (साल्हेभाटा)	90 प्रतिशत पूर्ण
11		बागबाहरा	तमोरा (स्कूलपारा)	60 प्रतिशत पूर्ण
12		बागबाहरा	तमोरा (तमोरीपारा)	60 प्रतिशत पूर्ण
13		बागबाहरा	बिरजपानी	60 प्रतिशत पूर्ण
14		बागबाहरा	परसदा–खट्टी	60 प्रतिशत पूर्ण
15	बालोद	डौण्डी	कटरेल	80 प्रतिशत पूर्ण





ग्राम उमरकोटी, विकास खण्ड अभनपुर, जिला रायपुर में नीति आयोग अंतर्गत फ्लोराईड रिमूव्हल प्लांट

3.2.5 छ.ग. राज्य जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन (डब्ल्यू.एस.एस.ओ.) :-

भारत सरकार, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के क्षेत्र में पोषित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) के अंतर्गत सहायक गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अधीन "छ.ग राज्य जल एवं स्वच्छता सहायता संगठन" (WSSO) का गठन माह अक्टूबर 2011 में संचालक एवं तीन सलाहकार के अतिरिक्त अन्य सहायक अमले की स्थापना कर किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य जल एवं स्वच्छता सहायता संगठन (WSSO) द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) के अंतर्गत सहायक गतिविधियों (Support Activities) एवं जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम (Water Quality Monitoring and Surveillance Programme) की गतिविधियों का क्रियान्वयन विभागीय अमले के सहयोग से किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ राज्य जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 के प्रारंभ में माह अप्रेल में **"ग्राम उदय से भारत उदय"** अभियान अंतर्गत प्रदेश के समस्त जिलों के ग्रामीण अंचलों में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत जल एवं स्वच्छता रथ, गोष्ठी, ग्राम सभा, सम्मेलन इत्यादि विभिन्न प्रचार–प्रसार के माध्यमों से विभागीय योजनाओं एवं विभाग द्वारा प्राप्त की गई उल्लेखनीय प्रगति के संबंध में प्रदेश की ग्रामीण जनता को जानकारी प्रदान की गई एवं उनमें जागरूकता उन्नयन किया गया। विभागीय अधिकरियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण अंतर्गत सेमीनार, कार्यशाला एवं चर्चा के माध्यम से योजनाओं को त्वरित गति से क्रियान्वित किये जाने एवं इसका लाभ ग्रामीण जनता को प्रदान किये जाने हेतु कार्ययोजना क्रियान्वयन के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाने एवं उसकी अनुश्रवण एवं निगरानी करते हुए किस प्रकार योजना से समय–सीमा पर अपेक्षित सुविधाएं ग्रामीण जनता को दी जा सकती हैं, पर प्रशिक्षित किया गया। पेयजल की गुणवत्ता दिन प्रतिदिन भू–जल के नीचे जाने, अत्यधिक दोहन एवं भूमिगत् रसायनिक तत्वों के नये सर्किट एवं

मानव विकास निर्मित संरचनाओं के निर्माण एवं उससे जनित उत्सर्जन इत्यादि के कारण पेयजल की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसमें मुख्यतः आयरन, फ्लोराईड, आर्सेनिक इत्यादि हानिकारक रसायनिक तत्वों से पेयजल के परीक्षण से प्राप्त परिणामों के आधार पर प्रदेश में भूमिगत् जल स्त्रोतों के लगातार प्रभावित होने की जानकारी प्रदेश स्तर पर प्राप्त हो रही है। विभागीय अधिकारियों को इस चुनौती का सामना करने के लिये राज्य स्तर पर कार्यशालाा आयोजित कर संगठन द्वारा तकनीकी पहलुओं एवं निदान के लिये स्थापित किये जा रहे विभिन्न प्रकार के संयंत्रों, उनके रख रखाव इत्यादि पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। यह प्रशिक्षण सेमीनार, नवीनतम तकनीकी खोजों एवं मेक इन इंडिया कार्यक्रम भारत/छत्तीसगढ़, अंतर्गत संगठन द्वारा आयोजित करते हुए विभागीय अधिकारियों की तकनीकी जानकारी में बढ़ोतरी की गई।

विभाग के विद्युत/यांत्रिकी संकाय के अधिकारियों को रिग मॉनिटरिंग सिस्टम अंतर्गत प्रदायित लक्ष्यों को, किस प्रकार समयबद्ध तरीके से कम समय में पूर्ण किया जा सकता है, पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित करते हुए संगठन द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

प्रदेश के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल प्रदाय का श्रोत नलकूप है, जिसके वैज्ञानिक तरीके से स्थल चयन पर अंतरिक्ष विज्ञान विभाग, भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय रिमोट सेन्सिग केन्द्र, नागपुर के साथ मिलकर कार्यशाला एवं कार्यस्थल पर प्रशिक्षण प्रदेश के समस्त कार्यपालन अभियंता एवं उच्च अधिकारियों को संगठन के माध्यम से प्रदान किया गया।

विभाग द्वारा प्राप्त प्रगति पर प्रचार प्रसार हेतु एवं जलगुणवत्ता के प्रति जनजागरूकता लाने के लिए रेडियोरूपक बनाने, दृश्यावली तैयार करने का कार्य किया जा रहा है।

महाराष्ट्र राज्य में समूह जल प्रदाय योजनाओं के कियान्वयन एवं रख रखाव तथा जल शुद्धिकरण संयंत्र में हो रहे नवोन्मेशी तकनीकी प्रयोगों पर विभागीय अधिकारियों द्वारा उन्मुखीकरण यात्रा की गयी।

3.2.6 राज्य स्तरीय पर्यवेक्षण एवं कियान्वयन प्रकोष्ठः-

भारत सरकार पेयजल स्वच्छता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी की गई राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की मार्गदर्शिका 2013 यथा संशोधित अनुसार विभाग में पर्यवेक्षण एवं कियान्वयन प्रकोष्ठ का गठन शासन द्वारा किया गया है। प्रकोष्ठ का उत्तरदायित्व राज्य स्तर पर विभिन्न विभागीय कार्यक्रमों के अनुश्रवण का है।

भाग - चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन का एक जन कल्याणकारी, तकनीकी कार्यविभाग है। पेयजल के क्षेत्र में जहां विभाग की तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता है, वहीं ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में विभाग से सलाहकार, समन्वयक एवं प्रोत्साहक की भूमिका अपेक्षित है। विभाग की गतिविधियों का सीधा संबंध जन सामान्य से है एवं बदली हुई परिस्थितियों में शासकीय योजनाओं की परिकल्पना, आयोजना के साथ ही उनके संचालन एवं संधारण व्यवस्था में जन सामान्य की आवश्यकता, मान्यता एवं उनके सुझावों सहित भागीदारी सुनिश्चित की जानी है। इसके लिए जहां जन सामान्य को सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के माध्यम से प्रेरित एवं जागरूक करते हुए इस महती भूमिका के निर्वहन के लिए सक्षम बनाया जाना है वहीं तकनीकी अमला जो योजनाओं के सर्वेक्षण, रूपांकन, क्रियान्वयन एवं संचालन–संधारण से संबद्ध है, उन्हें भी समसामयिक कर्तव्यों के लिए तकनीकी विषयों के प्रशिक्षण के साथ ही साथ सूचना, शिक्षा, संचार एवं जनसहभागिता के लिए आवश्यक विषयों के ज्ञान एवं नये–नये विषयों से अवगत कराया जाना अनिवार्य हो गया है। इसके लिए सभी स्तर के अमले के साथ ही अन्य स्टेक होल्डर्स जैसे हितग्राहियों, पंचायती राज संस्थाओं, एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में अभिसरण के लिए अन्य विभागों के मैदानी स्तर के शासकीय अमले को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तकनीकी एवं सामान्य विषयों पर विभाग के 61 अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है।

विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों एवं अन्य स्टेक होल्डरों को प्रशिक्षण के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अप्रेन्टिस एक्ट 1961 के तहत विभिन्न विषयों में **55** प्रशिक्षुओं को एक वर्ष का प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिया गया है।

वर्ष 2016 के दौरान जिन मुख्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभागीय अमले की भागीदारी रही है वह निम्नानुसार है:-

दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 तक

क.	प्रशिक्षण विषय	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षण स्थान	प्रति भागियों की संख्या
1	माडर्न ऑफिस मैनेजमेंट और ई–कोष एवं बिल सबमिशन विषय पर कम्प्यूटर प्रशिक्षण	19.12.2016 से 31.12.2016 18.07.2016 से 30.07.2016 21.06.2016 से 02.07.2016 15.02.2016 से 19.02.2016	छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर	03 04 02 02
2	वेतन निर्धारण अवकाश नियम एवं अवकाश का नगदीकरण	14.12.2016 से 16.12.2016	छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर	02
3	माडर्न ऑफिस मैनेजमेंट विषय पर कम्प्यूटर प्रशिक्षण।	01.02.2016 से 12.02.2016	छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर	02

क.	प्रशिक्षण विषय	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षण स्थान	प्रति भागियों की संख्या
4	छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 तथा छ.ग. वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन	08.08.2016 से 10.08.2016 29.02.2016 से 04.03.2016 02.05.2016 से 07.05.2016	छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर	03 01 01
5	सरकारी कर्मचारी की प्रेरणा और उनके व्यवहार कौशल में सुधार विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।	13.06.2016 से 17.06.2016	छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर	03
6	सूचना का अधिकार नियम 2005 का प्रभावी कियान्वयन हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण	26.09.2016 से 27.09.2016	छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर	03
7	सूचना का अधिकार नियम 2005 का प्रभावी कियान्वयन स्वप्रकटी करण पर एक दिवसीय कार्यशाला।	30.07.2016	छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर	02
8	केपिसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन बैक फिल्ट्ररेशन फॉर सस्टेनेबिल ड्रिंकिंग वॉटर सप्लाई विषय पर प्रशिक्षण	12.09.2016 से 16.09.2016	एन.आई.एच.रूड़की	02
9	जेन्डर बजटिंग विषय पर प्रशिक्षण।	28.01.2016 से 30.01.2016	छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर	06
10	नलकूप निर्माण के लिए जगह का चयन विषय पर प्रशिक्षण।	22.08.2016 से 26.08.2016	आर.जी.एन.जी.डब्ल्यू. टी.आर.आई. रायपुर	02
11	भू–जल अध्ययन में भौतिकीय तकनीक के इस्तेमाल विषय पर प्रशिक्षण।	29.08.2016 से 09.09.2016	आर.जी.एन.जी.डब्ल्यू. टी.आर.आई. रायपुर	02
12	आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।	15.03.2016 से 17.03.2016	छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर	03
13	जलवायु परिवर्तन को अपनाने एवं आपदा जोखिम में कमी विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।	04.08.2016 से 06.08.2016	छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर	04
14	पुनर्वास और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।	22.06.2016 से 24.06.2016	छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर	03
15	"पेंशन एवं नवीन अंशदायी योजना तथा सेवानिवृत परिलाभ।"	11.01.2016 से 13.01.2016	छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर	01

क.	प्रशिक्षण विषय	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षण स्थान	प्रति भागियों की संख्या
16	सोलर आधारित पंपिंग सिस्टम विषय पर प्रशिक्षण।	29.09.2016 से 01.10.2016	ए.आई.एल.एस.जी. भोपाल	03
17	आंतरिक लेखा परीक्षण, अंकेक्षण उनका पालन प्रतिवेदन	02.11.2016 से 04.11.2016 01.02.2016 से 03.02.2016 28.01.2016 से 30.01.2016	छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर	01 04 02
			कुल	61





सेटेलाईट इमेजरी के उपयोग से नलकूप खनन हेतु स्थल के चयन हेतु–राज्य स्तरीय कार्यशाला अंतर्गत मैदानी भ्रमण

भाग - पांच

विभागीय प्रकाशन

अधिसूचना कमांक एफ 8–03/2008/34–1– के द्वारा छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा में भर्ती तथा सेवा की शर्तों के संबंध में अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र असाधारण के अंक कमांक 476 दिनांक 30 दिसम्बर 2016 को प्रकाशित करवाया गया।



ग्राम सुपलगा बासाहट ढोढ़ीटिकरा (कोरवाबस्ती), विकास खण्ड मैनपाट जिला सरगुजा में स्थापित हैण्डपंप

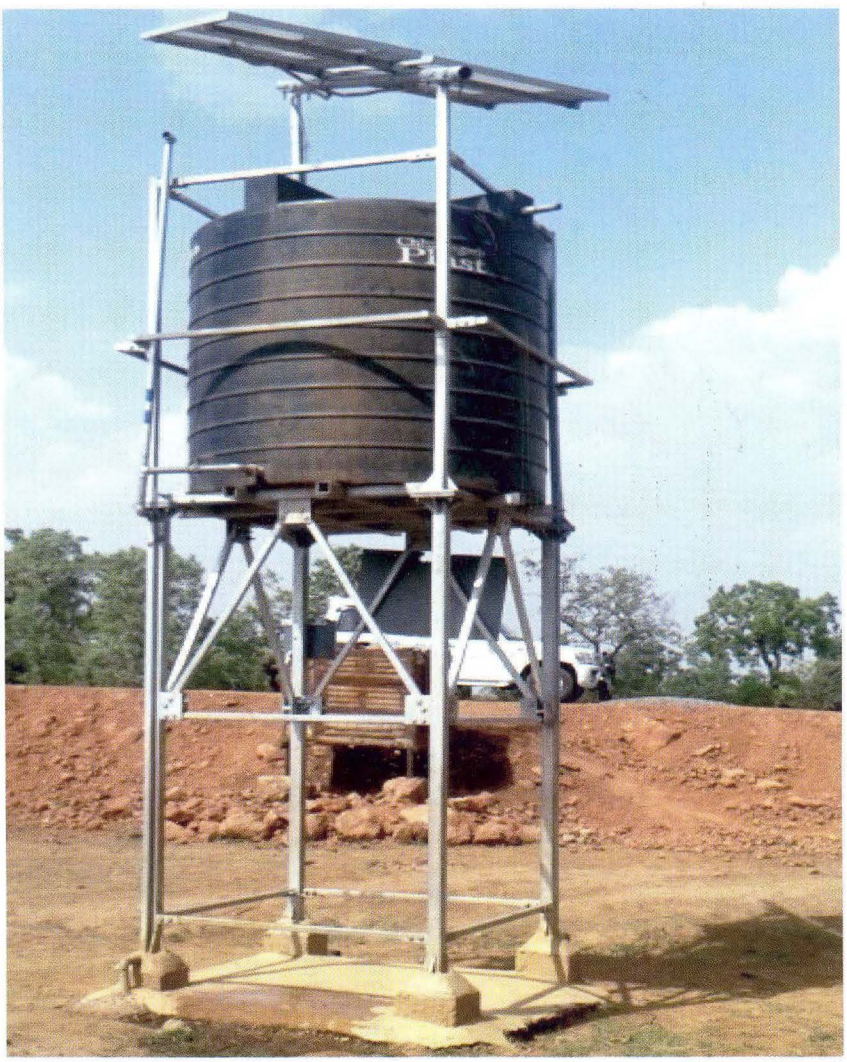
भाग - छः

सारांश

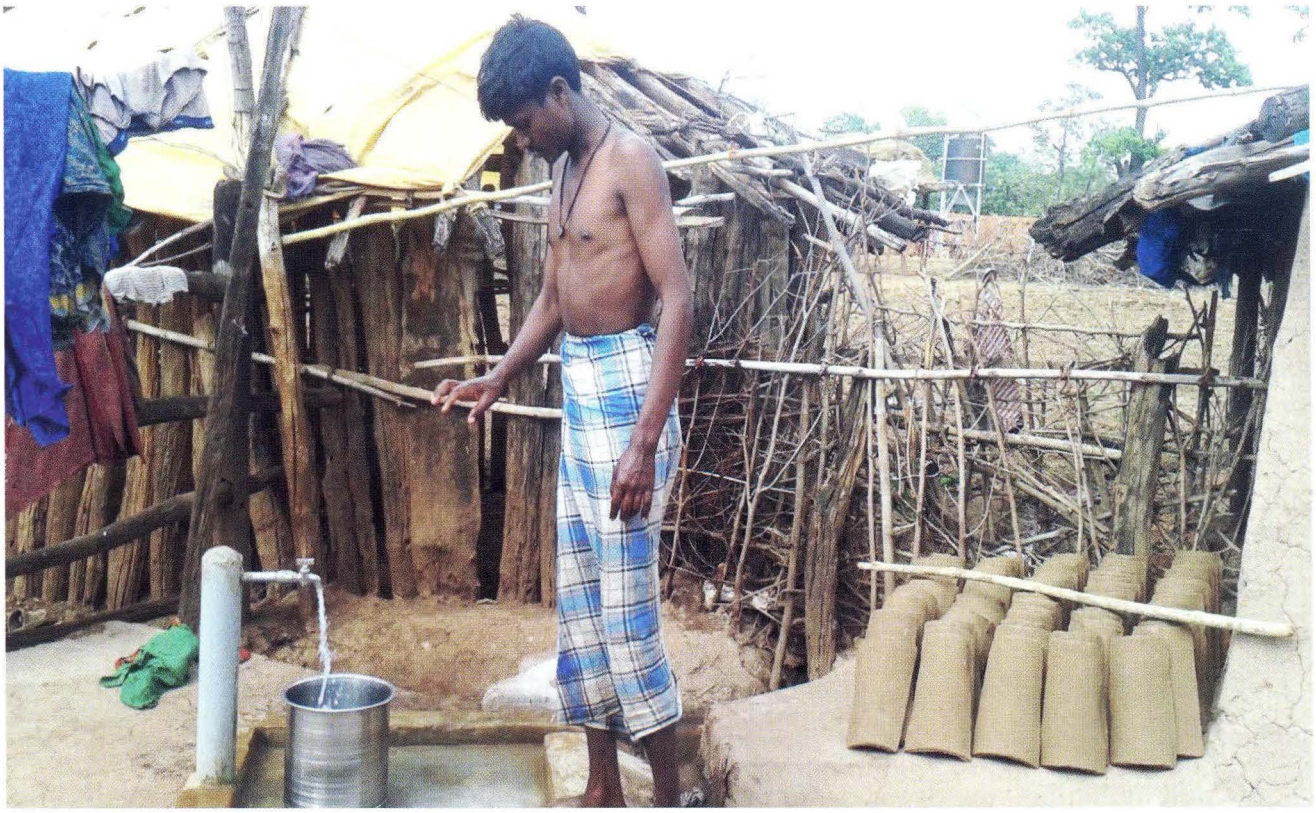
प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नोडल विभाग है। जन सामान्य के लिए शुद्ध पेयजल की निरंतरता एवं पर्याप्त उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। शुद्ध पेयजल की निरंतर एवं पर्याप्त उपलब्धता के लिए पेयजल की गुणवत्ता के साथ–साथ भू–जल संवर्धन के कार्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए हैं, जिसके लिए यथोचित प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा जहां ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हैंडपंप और नल जल योजनाओं के द्वारा की जा रही हैं, वहीं शहरीय क्षेत्रों के लिए उनकी मांग अनुसार जलप्रदाय योजनाओं का अभिकल्पन, रूपांकन एवं क्रियान्वयन भी किया जाता है।

7.1 ग्रामीण पेयजल व्यवस्था

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य मद की योजनाओं के अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशा–निर्देशों के अनुरूप निरंतर, गुणवत्तायुक्त, पर्याप्त पेयजल व्यवस्था के लिए विभाग प्रतिबद्ध है। ग्रामीण जनों को सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल उनके घरों में ही उपलब्ध कराए जाने की दिशा में विभाग द्वारा जहां नलजल प्रदाय योजनाओं का अधिक से अधिक क्रियान्वयन किया जा रहा है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की छोटी–छोटी बसाहटों में भी सोलर पंप आधारित जलप्रदाय योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना से भी घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से जलप्रदाय किया जा रहा है।



ग्राम भेलकी, वि.ख.–पण्डरिया,
जिला कबीरधाम में स्थापित सोलर पंप



ग्राम भेलकी, वि.ख.–पण्डरिया, जिला कबीरधाम में स्थापित सोलर पंप से घरेलू नल कनेक्शन

भू–जल श्रोतों पर निर्भरता को कम करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सतही श्रोत पर आधारित समूह नलजल प्रदाय योजनाएं कियान्वित की जा रही है। पेयजल की गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में विभिन्न तकनीकों पर आधारित शुद्धिकरण संयंत्रों की स्थापना एवं वैकल्पिक व्यवस्था कर शुद्ध पेयजल प्रदाय के प्रयास किये जा रहे हैं। विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध पेयजल श्रोतों एवं पेयजल योजनाओं की निरंतरता बनाये रखने, संचालन–संधारण, नई योजनाओं के कियान्वयन तथा पेयजल की गुणवत्ता के अनुश्रवण में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में भी कार्य किये जा रहे हैं।

पेयजल गुणवत्ता की मॉनीटरिंग एवं उस पर निगरानी के लिए लगातार पेयजल स्रोतों की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए उपखंड स्तर तक प्रयोगशाला की स्थापना करने के साथ चलित प्रयोगशाला की भी व्यवस्था की गई है। इसी की निरंतरता में प्रदेश के समस्त 27 जिलों के समस्त पेयजल श्रोतों की जल गुणवत्ता की जांच बी. आई.एस. मानक अनुसार 18 पैरामीटर पर करते हुए जी.पी.एस. डाटा कलेक्शन सेनेटरी सर्वे सहित प्रत्येक श्रोत की डिजिटल GIS Maping के कार्य की महत्वाकांक्षी योजना प्रगतिरत् है।

7.2 नगरीय पेयजल व्यवस्था

प्रदेश में पेयजल प्रदाय के क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को विशेषज्ञ अभिकरण की हैसियत प्राप्त है। विभाग द्वारा प्रदेश की नगरीय निकायों के लिए उनकी मांग के अनुसार जल प्रदाय योजनाओं की परिकल्पना, रूपांकन एवं कियान्वयन किया जाता है। छ0ग0 राज्य गठन के पश्चात् प्रदेश में नगरीय निकायों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। पूर्व नगरीय क्षेत्रों में कियान्वित पेयजल योजनाओं का वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप आवर्धित करने के साथ ही नवीन नगरीय निकायों में ग्रामीण मापदण्ड आधारित कियान्वित जलप्रदाय योजनाओं के स्थान पर नगरीय मापदण्ड आधारित योजनाएं स्वीकृत एवं कियान्वित की जा रही है।



दोरनापाल, जिला सुकमा, आवर्धन जलप्रदाय योजना अंतर्गत निर्मित जल शोधन संयंत्र

7.3 विविधः-

विभाग का मुख्य दायित्व ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था है, जो मुख्यतः भू–गर्भीय श्रोतों पर आधारित है। भू–गर्भीय जल श्रोतों के अधिकाधिक उपयोग से जहां एक ओर भू–गर्भीय जल की उपलब्धता कम हुई है, वहीं उपलब्ध भू–गर्भीय जल में गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। विभाग द्वारा सामयिक आवश्यकता के दृष्टिगत भूजल संवर्धन कार्यों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में सतही श्रोत पर आधारित समूह जलप्रदाय योजनाएं कियान्वित की जा रही हैं। नगरीय क्षेत्रों में भी भू–जल श्रोतों पर आधारित योजनाओं का मांग अनुसार सतही श्रोत पर आवर्धन किया जा रहा है। पेयजल गुणवत्ता की समस्या के हल हेतु आयरन, फ्लोराईड रिमूव्हल प्लांट की स्थापना प्रायोगिक रूप से कर, विभाग आधुनिक तकनीकी के उपयोग से अपने आपको समसामयिक बनाये रखने के लिये निरंतर प्रयासरत् है। इस दिशा में उपखंड स्तर तक कम्प्यूटरीकरण किया गया है तथा ऑन लाइन मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग, प्रस्तावित ग्राम स्तर तक जी.आई.एस. मेपिंग एवं भू–जल संवर्धन योजनाओं हेतु सेटेलाइट इमेजरी का उपयोग, नलकूप खनन हेतु अत्याधुनिक रिग मशीनें एवं इनका रियलटाइम ऑनलाइन मॉनीटरिंग, जल शोधन संयंत्रों में **SCADA** तकनीक का उपयोग, ई–प्रोक्योरमेंट, ई–वर्क्स प्रक्रिया का उपयोग एवं टॉल फ्री सेवा से त्वरित शिकायत निवारण व्यवस्था का उल्लेखनीय कदम हैं।

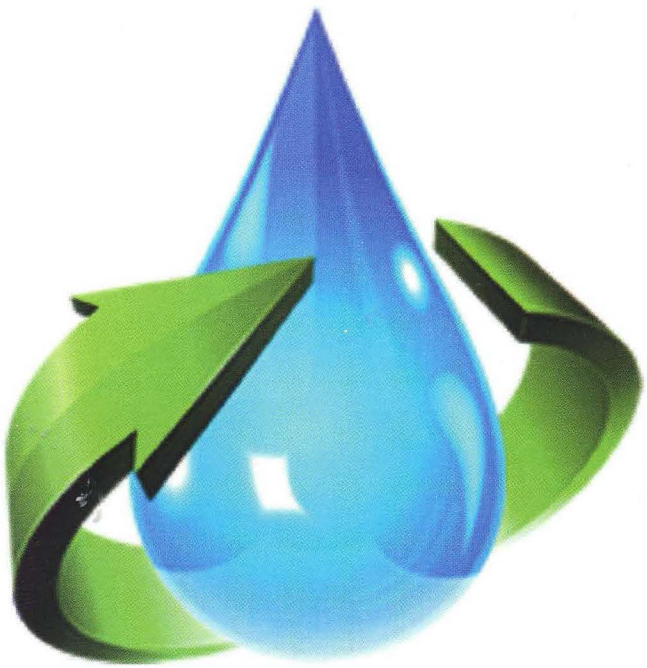
वर्तमान में विभाग के पास 1:50000 स्केल के हाइड्रोजियोलाजिकल नक्शे उपलब्ध है जिनका उपयोग विभाग द्वारा नलकूप खनन हेतु उपयोग किया जा रहा है।

जिला राजनांदगांव, के विकासखण्ड राजनांदगांव, डोंगरगढ़ एवं खैरागढ़ के ग्राम ठेलकाडीह के आसपास के 151 ग्रामों के लिए राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र, क्षेत्रिय सुदूर संवेदन केन्द्र– मध्य, नागपुर (NRSA) द्वारा छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के माध्यम से 1:10000 स्केल पर हाइड्रोजियोलाजिकल नक्शे तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है। नक्शे का उपयोग कर नलकूप खनन के स्थल चयन एवं भू–जल पुर्नभरण के कार्य हेतु यथोचित स्थल का चयन किया जा सकेगा।

'जल ही जीवन है'

जल संरक्षण जरुरत है और कर्तव्य भी

- पानी की रक्षा देश की सुरक्षा।
  जल बचाइये जीवन सँवारिये।।
- पानी की समस्या है विकराल।
  जल बचाव की बने मिसाल।।
- जरुरत अनुसार पानी का कीजिए उपयोग।
  जल बचाव में आपका होगा सहयोग।।



जल संरक्षण



विभागीय सचिव द्वारा समूह जल प्रदाय योजना साजा के अंतर्गत खम्हरिया इंटेकवेल के वर्टिकल टरबाईन पंप का निरीक्षण



ग्राम लाउ, बसाहट लाउंगपानी (पहाड़ी कोरवा) विकास खण्ड राजपुर, जिला-बलरामपुर



मान. मंत्रीजी द्वारा ग्राम डोंगीतराई जिला बेमेतरा में ग्रामवासियों से
पेयजल के संबंध में चर्चा हेतु सभा का आयोजन



मान. लाभचंद बाफना, संसदीय सचिव, गृह एवं जेल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा
इसरो के वैज्ञानिक से भूजल स्रोत की जानकारी लेते हुए

ग्रामीण पेयजल शिकायत से संबंधित टोल फ्री नम्बर - 18002330008

Chhattisgarh Samvad